

पत्र संख्या : ७ब/४७११ योजना, ज०सं०-०२/१८..... २०
 झारखण्ड सरकार
 जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
 अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/
 मुख्य अभियंता, चापिल कम्पलेक्स/देवघर/राँची;
 संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक :— १९.३.२०१९

विषय :—

मॉग संख्या—४९—जल संसाधन विभाग, योजना मुख्य शीर्ष—४७११—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—०१—बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष—७९६—जनजातीय क्षेत्र योजना, उप शीर्ष—५८—नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष—०५—निर्माण ४५ निर्माण कार्य, विपत्र कोड—४९S471101796580545, के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष—२०१८—१९ में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७११ — बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट—१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

(लाख रु० में)

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड	अवशेष बजट उपबंध से आवंटित राशि	प्राप्त प्रत्यार्पण से आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
१	२	३	४	५	६	७ (५+६)
१.	४९—जल संसाधन विभाग ४७११—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय/०१—बाढ़ नियंत्रण,	७९६—जनजातीय क्षेत्र योजना, उप शीर्ष—५८—नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन	०५—निर्माण ४५ निर्माण कार्य / विपत्र कोड ४९S471101796580545	०.०६४८८	१३१.२३५१२	१३१.३००००

आवंटित राशि — ₹ एक करोड़ एकतीस लाख तीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१८—१९ के (पुनरीक्षित) बजट उपबंध रु. ११००.०० लाख (ग्यारह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ एवं १३६३ दि. ०९.०५.२०१६ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत / अनुरूप किया जायेगा।
- उक्त आवंटित राशि परिशिष्ट—२, में वर्णित प्रत्यार्पण स्वीकृत करते हुये निर्गत किया जा रहा है।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

३२१६

(राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि.)

२०२१/३/१९

(रमेश कुमार दूबे)
 विशेष सचिव


५४
 (हमन्त कुमार)
 अभियंता प्रमुख—१

४४

7. सरकारी नियम/ अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/ बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/संचालन अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षन्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो इकाईवार प्रत्यार्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथास्थान प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्



(अरुण कुमार सिंह) 19.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— २२०

रॉची, दिनांक :— 19.3.2019

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.— हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/जमशेदपुर/साहेबगंज/देवघर/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(अरुण कुमार सिंह) 19.3.19
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :— २२०

रॉची, दिनांक :— 19.3.2019

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना—सह—वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख—I


(अरुण कुमार सिंह) 19.3.19
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक २२०

मान संस्था-४९-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-४७१-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर यौजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-०१-बाढ नियंत्रण

लघु शीर्ष-७७६-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

उप शीर्ष-५८-नई बाढ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन

विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण 45 निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S471101796580545

दिनांक १०.३.२०१९

का अनुलनक

परिविष्ट - 1

वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनरीक्षित बजट उपबंध रु. 1100.00 लाख (यारह करोड) मात्र।

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग			वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन				On-line Allotment Access No.	अन्यकृति
				मार्च 2018 तार्क का वर्तमान रुप्त का आवंटन	साथी आवंटन	कुल आवंटित राशि	मार्च 2018 तार्क का वर्तमान रुप्त का आवंटन	साथी आवंटित राशि	मार्च 2018 तार्क का वर्तमान रुप्त का आवंटन	साथी आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	बराज प्रमंडल, गातूडीह (JSIRR074)	चापिडल	जिला-पूर्वी सिंहभूम, प्रखण्ड-बरहरागाड अंतर्गत ग्राम बामडोल महुलडेनरी में सुखणरखा नदी के बांधे तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में Anti Flood Sluice Gate का निर्माण कार्य।	06/18-19 दिनांक-10.05.2018 Online AA- 392/11.05.2018	186.270	0.00	0.00	50.00	50.00	103734		
2	सिंचाई प्रमंडल, बरहडवा (RJMIRR001)	देवधर	साहेबांज जिलात्मानि बरहरवा प्रखण्ड के हीरिया पांचायत में सेराजुल के घर से कादेपाड़ा सीढ़ी घाट तक गुमानी नदी पर 350 मी० में बोर्डर क्रेटिंग कार्य। साहेबांज जिलात्मानि बरहरवा प्रखण्ड में हस्तिपाड़ा पांचायत के जुहुबोना कुकरीटोला रुमाल के घर से प्रुषाता क्रेटिंग तक गुमानी नदी पर 250 मी० के बोर्डर क्रेटिंग कार्य। साहेबांज जिलात्मानि बरहरवा प्रखण्ड में मधुवापाड़ा ग्राम मूर्ति से कराये गये कार्य का 200 मी० में पुनर्स्थापन कार्य।	177.53	0.00	147.00	9.38	156.38				
3	जलपथ प्रमंडल संस्था-१, चाप्रदरपुर (SGHRR016)	रोची	पश्चिमी सिंहभूम जिलात्मानि मनोहरपुर प्रखण्ड में कोयना नदी से काशीपुर गाँव के पास ही रहे कटाव निरोधक कार्य।	05/18-19, प्र.स्थी. दिनांक-03.05.2018 Online AA- 291/05.05.18	69.800	0.00	0.00	60.00	60.00	103742		
			योग	297.00	131.30	428.30						

आवेदित राशि - ₹ एक करोड़ एकतीस लाख तीस हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अमित)

(रमेश कुमार द्वे)

विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)

अभियंता प्रमुख-१

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

19.3.2019

मान सख्त्या-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-4711-बाड नियंत्रण परियोजनाओं पर यौजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-01-बाड नियंत्रण
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

उप शीर्ष-58-नई बाड नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S471101796680545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनरीक्षित बजट उपबंध रु. 1100.00 लाख (रियाह करोड़) मात्र।

(राशि लाख रुपये में)

क्र.प्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2018 तक का एवं का आवंटन	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन प्रधारित राशि आवंटित राशि	संशोधित राशि	On-line Allotment Access No.	अमुक्ति
				प्रसंग	राशि					
1	गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज (SBJIRR016)	देवधर	साहेबगंज जिलानारात राजमहल प्रखण्ड में गंगा नदी के दायें तर पर फेरीधाट, राजमहल के पास कटाव निरोधक कार्य का प्रस्ताव (कटाव की लम्बाई 360 मी०)	05/18-19, प्र.स्वी. दिनांक-03.05.2018 Online AA- 291/05.05.18	339.12	0.00	256.00	187.27	68.73	87844
				योग	256.00	187.27	68.73			

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कुल प्रत्यापित राशि - ₹ एक करोड़ सतासी लाख सताईस हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधि०)

(रमेश कुमार देव)
विशेष सचिव

(हेमत कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अल्पा कुमार सिंह)
अप्र मुख्य सचिव

19.3.19